

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2019-20

दिनांक : 30.9.2020

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक/प्रारम्भिक - (मुख्यालय)

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी
समग्र शिक्षा अभियान

विषय : शालादर्पण पोर्टल पर छात्रवृत्ति मॉड्यूल में विभिन्न छात्रवृत्तियों के ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 20.10.2020 तक बढ़ाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शालादर्पण पोर्टल पर छात्रवृत्ति मॉड्यूल में सत्र 2020-21 के लिए विभिन्न प्रकार की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में आनलाईन आवेदन एवं अपडेशन की कार्यवाही संस्थाप्रधान स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति एवं विभागीय वेबसाइट पर दिए गए विस्तृत दिशानिर्देश के अनुसार शालादर्पण पोर्टल के छात्रवृत्ति मॉड्यूल में आवेदन एवं अपडेशन का कार्य दिनांक 27.08.2020 से प्रारंभ कर अंतिम तिथि दिनांक 30.09.2020 के रात्रि 12.00 बजे तक निर्धारित की गई थी जिसे 20.10.2020 तक बढ़ाई जाती है। ध्यान रहे कि किसी भी परिस्थिति में अंतिम तिथि को ओर बढ़ाया जाना संभव नहीं है।

उक्त क्रम में आप अपने अधिनस्थ समस्त संस्थाप्रधानों को निर्देशित करें कि निर्धारित तिथि दिनांक 20.10.2020 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें ताकि पात्र विद्यार्थियों को भुगतान की कार्यवाही की जा सकें। उपर्युक्त कार्य में शिथिलता/ उदासीनता बरतने वाले संस्थाप्रधानों/कार्मिकों के विरुद्ध आप द्वारा नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। अन्य समस्त दिशानिर्देश यथावत रहेंगे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।


(सौरभ स्वामी)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर


www.rajteachers.com

क्रमांक : शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2019-20

दिनांक : 30.09.2020

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सुयुक्त सचिव शिक्षा(ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. श्री विनोद जैन, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार शालादर्पण पर छात्रवृत्ति मॉड्यूल हेतु कार्य सम्पादित करने की अंतिम तिथि दिनांक 20.10.2020 रात्रि 12.00 बजे तक बढ़ाकर पोर्टल लॉक किया जाना सुनिश्चित करावें। पोर्टल पर आ रही तकनीकी समस्याओं की जानकारी में आते ही अविलम्ब निस्तारित करवाएं।
3. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
4. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
5. सहायक निदेशक, शालादर्पण, कार्यालय हाजा, तकनीकी समस्याओं के प्राप्त होते ही एन.आई.सी.जयपुर से समन्वय स्थापित कर अविलम्ब निस्तारण करावें।
6. समस्त संस्थाप्रधान राप्रावि/उप्रावि/रामावि/राबामावि/राउमावि/राबाउमावि को अनिवार्यतः पालनार्थ।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट एवं शालादर्पण पर अपलोड करने बाबत।


प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर